लिये निर्धारित कोटे के अनुसार थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). जी, नहीं, मंत्रालय (मुख्य) में तो नहीं ; परन्तु निदेशालयों तथा विभागों से और अधिक सूचना उपलब्ध की जा रही है ।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष

2106. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष की आयु 70 वर्ष से अधिक है ;

(ख) क्या नियुक्ति के समय उनकी डाक्टरी परीक्षा हुई थी ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(घ) क्या देश में समान योग्यताओं वाले कम आयु के व्यक्ति उपलब्ध नहीं थे ; और

(ङ) यदि ऐसे व्यक्ति देश में उपलब्ध हैं, तो उनमें से एक को इस पद पर नियुक्त न करने के क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ङ). अध्यक्ष की आयु अब 71 वर्ष की है । उच्च स्तरीय चयन समिति ने, जिसमें भूतपूर्व शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय के दो राज्य मंत्री, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष सम्मिलित थे, उन के नामों पर विचार किया था जो उपलब्ध हो सकते थे और जो अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त थे । समिति ने मौजूदा अध्यक्ष डा० बाबू राम सक्सेना को, भाषा के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि तथा उपाध्यक्ष के रूप में उनके पूर्व अनुभव को ध्यान में रखते हुए, इस पद के लिए अधिक उपयुक्त समझा था । बाद में, समिति की सिफारिश को मंत्रिमण्डल द्वारा स्वीकृति दी गयी थी । भारत सरकार ने भी मौजूदा अध्यक्ष को आधारभूत नियमों तथा अनुपूरक नियमों के अन्तर्गत डाक्टरी परीक्षा से मुक्त कर दिया था ।

विश्वविद्यालय के प्रांगण में विधि तथा व्यवस्था

2107. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों द्वारा उनके पिछले सम्मेलन में व्यक्त किये गये इस विचार के प्रति उनके मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है कि विद्यार्थियों में तोड़ फोड़ की बढ़ रही प्रवृत्ति को देखते हुए विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुलिस के दाखले पर प्रतिबन्ध को अब जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है ;

(ख) विश्वविद्यालय प्रांगण में विद्यार्थियों की तोड़ फोड़ की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या विद्यार्थियों की तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के कारण इस वर्ष 1968-69 (31 जनवरी, 1969 तक) सम्पत्ति को हुई क्षति का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). कुलपतियों के कौन से सम्मेलन का हवाला दिया है, यह स्पष्ट नहीं है । लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है । मूल रूप से यह राज्यों सरकारों का कर्तव्य है कि इस मामले में समुचित कार्रवाई करें । जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान के उद्देश्य से और

अवांछनीय गतिविधियों से छात्रों का ध्यान हटाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्र-कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान कर रहा है ।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Foreign Christian Missionaries In India

2108. SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI BRIJ BHUSHAN LAL :
SHRI RANJIT SINGH :
SHRI JAGANNATH RAO JOSHI :
SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE :
SHRI SURAJ BHAN :
SHRI RAM GOPAL SHALWALE :
SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN :
SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS pleased to state :

(a) the total number of foreign Christian Missionaries in India and the number among them belonging to Commonwealth countries and the total amount received by the Christian missionaries in cash and in kind during the last three years ;

(b) the number of schools, colleges, dispensaries and hospitals in the country run by missionaries :

(c) the names of the foreign Christian missionaries who are reported to be indulging in anti-social activities in the last three years :

(d) the details of the complaints and and action taken by Government aginst them ; and

(e) how many new foreign Christian Missionaries have been given permission to come to India during the last three years and how many missionaries have been allowed to continue their stay in India after the expiry of their period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : (a) The number of registered foreign missionaries in India as on the 1st January 1968 was 6,420 ; of these 2,624 were from Common-wealth contries.

Statistics maintained of funds received from abroad are not classified separately for remittances received by missionary organisations. In the exchange accounts, these inward remittances come under the general heading "Private Donations". A sub-head under this heading accounted for receipts by missionaries, charitable institutions and other individuals. During 1966 and 1967 the coverage under this sub-head included receipts under Titles II and III of of PL 480 and the National Defence Remittances Scheme The total amounts accounted during 1965, 1966 and 1967 under this sub-head were Rs. 1,227 lakhs, Rs. 6,886 lakhs and Rs. 6,630 lakhs respectively (at the prevailing rates of exchange).

Information regarding the amounts received in kind is not available.

(b) to (e). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

हिन्दी में आदेश, ज्ञापन आदि जारी करना

2109. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री राम चरण :
श्री मोलहू प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय यह आशा करता है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय अपने सभी आदेश, कार्यालय ज्ञापन आदि अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी जारी करें जबकि गृह-कार्य मंत्रालय अपने प्रशासनिक तथा अन्य प्रकार के कार्यालय ज्ञापन अन्य मंत्रालयों को केवल अंग्रेजी में जारी करता है;

(ख) वर्ष 1968 के उत्तरार्ध में उनके मंत्रालय द्वारा वेतन तथा भत्ते आदि के संबंध में कितने कार्यालय ज्ञापन, आदेश, परिपत्र जारी किये तथा उनमें से कितने अंग्रेजी और हिन्दी में जारी किये गये;